

[प्रारूप 2 क.]

(नियम 4 देखिए)

मोहूरत -

50/HP/2024/RD
2:15PM
26.3.14

नाम निर्देशन पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2 इनमें से जो भी लागू न हो उसे काट दें।

भाग - I

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किए गये अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त किया जाना है।

मैं.....संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचन के लिए एक

अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम.....पिता/माता/पति का नाम.....

इनका डाक पता.....

इनका नाम.....संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट.....(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) का

निर्वाचक नामावली के भाग संख्या.....में क्रम संख्या.....पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम.....है जो.....संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट.....

.....विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग.....

में क्रम संख्या.....पर प्रविष्ट है।

दिनांक.....

प्रस्ताव.....

भाग - II

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा नहीं खड़ा किए गये अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त किया जाने के लिए)

हम एतद द्वारा 33 थक्सर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोक सभा के निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी में नाम निर्दिष्ट करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम राजेंद्र कुमार सिंह चौहान पिता/भ्रता/पति का नाम राधदयाल, सिंह चौहान

उसका डाक पता सा. पा. - जमौली थाना राजपुर जिला बक्सर

उसका नाम 33 थक्सर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र राजपुर

(में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचन नामावली के भाग सं. 200 क्रम संख्या 280 पर प्रकाशित है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं तथा हमारा नाम उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट है जैसे कि नीचे उपदर्शित है और हम इस नाम निर्देशन की सहमति के एवज में अपना हस्ताक्षर नीचे करते हैं।

प्रस्ताव करने वाले व्यक्तियों का विवरण तथा उनके हस्ताक्षर

क्रम सं०	प्रस्तावक की निर्वाचक नामावली संख्या			पूरा नाम	हस्ताक्षर	...
	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र खण्ड का नाम	निर्वाचक नामावली की भाग संख्या	उस भाग संख्या में क्रम संख्या			
1	2	3	4	5	6	7
1	थक्सर	72	610	श्रीभुवन चौहान	श्रीभुवन चौहान	26.3.14
2	थक्सर	72	603	योगेंद्र चौहान	योगेंद्र चौहान	26.3.2014
3	थक्सर	72	534	राधेश्याम चौहान	राधेश्याम चौहान	26.3.2.14
4	थक्सर	72	625	गुड्डू चौहान	गुड्डू चौहान	26-3-14
5	थक्सर	72	597	रामेश्वर चौहान	Rameshwar Chauhan	26.3.12
6	राजपुर	200	299	जैरेन्द्र चौहान	जैरेन्द्र चौहान	26.3.2014
7	राजपुर	208	1008	संतोष कुमार चौहान	संतोष कुमार चौहान	26-3-2014
8	राजपुर	208	998	हरेश्याम चौहान	हरेश्याम चौहान	26.3.14
9	राजपुर	39	208	सरोज कुमार चौहान	सरोज कुमार चौहान	26.3.14
10	राजपुर	39	817	रामबाबू चौहान	Rambabu Chauhan	26.3.14

टिप्पणी : प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 (दस) निर्वाचक होने चाहिए।

भाग - III

मैं भाग I/भाग II (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन की अनुमति
एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि -

(क) मैंने 48 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है,

निम्नलिखित ख (i) या ख (ii) में से जो भी लागू न हो उसे काट दें,

(ख) (i) कि मैं इस निर्वाचन में भारत विकास मोर्चा दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ, जो कि इस राज्य में एक
मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आबंटित किया जाय।

या

(ii) कि मैं, इस निर्वाचन में भारत विकास मोर्चा दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ, जो एक पंजीकृत
प्राप्त राजनीतिक दल है। मैं यह निर्वाचन एक निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ
उसे काट दें) तथा मैंने अधिमान्य क्रम में

(i) शेर (ii) कुत्ता (iii) बिल्ली

प्रतीक चुना है।

(ग) कि मेरा नाम तथा मेरे पिता/माता/पति के नाम की उपर अंकित वर्तनी शेर (माया
का नाम) सही है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाऊँगा
हूँ और निरहित
भी नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं अति पिछड़ा अनु-1 जाति/जनजाति का सदस्य

उस राज्य में के उ.उ. व्यवसाय (क्षेत्र) राजपुर से संबंधित अनुसूचित अति पिछड़ा अनु-1

जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि लोक सभा के वर्तमान में साथ में होने वाले सामान्य निर्वाचन/उप-निर्वाचनों के
लिए दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से नाम निर्दिष्ट नहीं हुआ हूँ या किया जाऊँगा।

दिनांक 26.3.2014

शेर

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

★ जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादर तथा नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष
द्वीप की दशा में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र शब्दों को काट दीजिए

★ ★ यदि लागू न हो तो इस पैराग्राफ को काट दीजिए

★ ★ ★ यदि लागू न हो तो उन शब्दों को काट दीजिए

/जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव तथा
लक्ष द्वीप के मामले में लागू नहीं होगा

टिप्पणी : मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से तात्पर्य संबंधित राज्य में निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश
1968 के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल।

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जायगा)

क्या अभ्यर्थी -

- (i) को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 क की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (आपराधों) में, या (ख) की उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट विधि के उल्लंघन के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है; या

- (ii) उसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) में दोषी पाया, जिसके लिए उसे दो वर्षों या उससे अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

हाँ/ नहीं

यदि उत्तर "हाँ" है तो अभ्यर्थी को निम्नलिखित सूचनाएं देनी होंगी।

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट सं./सं. शुन्य
- (ii) पुलिस स्टेशन राजपुर जिला (जिले) राजसूत राज्य बिहार
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) तथा अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण लिखने के लिए उसे सिद्ध दोष ठहराया गया था शुन्य
- (iv) दोष सिद्धि की तारीख (तारीखें) शुन्य
- (v) वह न्यायालय (न्यायालयों) जिसने अभ्यर्थी को सिद्ध दोष ठहराया था शुन्य
- (vi) अधिरोपित दण्ड कारावास (कारावासों) की कालावधि इंगित करें तथा/या जुर्माने की राशि उपदर्शित.....
- (vii) कारावास से छूटने की तारीख (तारीखें) शुन्य
- (viii) क्या उक्त दोष सिद्धियों के विरुद्ध कोई अपील (अपीलों) पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी/थी
- (ix) अपील (अपीलों) पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का विवरण तथा तारीख
- (x) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील (अपीलों)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) के लिए आवेदन दाखिल किया गया..... शुन्य
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीले)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाए) का निपटारा कर लिया गया लंबित है..... शुन्य
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का निपटारा हो गया है तो
- (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) शुन्य
- (ख) पारित आदेश (आदेशों) का प्रकार (की प्रकृति) शुन्य

दिनांक 26.3.2014

स्थान राजसूत

Dr. B. K. Mishra, 2

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

भाग - IV

(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन पत्र की क्रम संख्या SD/HP/2014/RO यह नाम निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में
26.3.2014 (तारीख) को 2.15 PM बजे को अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा दिया गया।

दिनांक 26.3.2014
जो शब्द लागू न हो उसे काट दें।

रमण कुमार
रिटर्निंग ऑफिसर
33-बक्सर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

भाग - V

नाम निर्देशन पत्र स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी का विनिश्चय
मैंने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 के अनुसार इस नाम निर्देशन पत्र को जाँच लिया है
और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

दिनांक

रिटर्निंग ऑफिसर

(छिद्रण)



“प्ररूप 26”

Sri/smt. Rajendra Kumar Singh (नियम 4क देखिए,
Who is identified by Sri P. Sharma
Advocate, solemnly affirmed
and sworn before me.

KAVINDRA SINGH
NOTARY, DIST BUXAR



NO. DATE TIME 9:30 PM
3146 28/11/14

33 अमरा

निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

राजेंद्र कुमार सिंह चौधरी (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर
के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं राजेंद्र कुमार सिंह चौधरी **पुत्र/पुत्री/पत्नी रामदयाल सिंह आय
रा. प. जमौली धारा अमरा जिला अमरा

(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

(1) मैं भारत विकास मोर्चा (** राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खूदा किया गया अभ्यर्थी/** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(** जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 33 अमरा राजपुर (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग 200 के क्रम सं 280 पर प्रविष्ट है।



(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं 9572339054 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो)

है। मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (यदि है तो) अमरा अमरा

है।


(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम सं०	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपये में)
1	स्वयं	AYLPCC62A6K	शुन	80,000=00
2	पति या पत्नी	शुन	शुन	शुन
3	आश्रित-1	शुन	शुन	शुन
4	आश्रित-2	शुन	शुन	शुन
5	आश्रित-3	शुन	शुन	शुन

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्ति नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं * यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्ति है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शुन
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शुन
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शुन
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शुन
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शुन
(च)	क्या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकੀ गई है/है	शुन



(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है {पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न}:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शुभ
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	शुभ
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	शुभ

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है। नहीं दिया गया है।

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

नम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शुभ
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शुभ
(ग)	अधिरोपित दंड	शुभ
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/ है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	शुभ



(7) मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे

जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।


टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं०, रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75 क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	हाथ में नकदी	35,000	शुन	शुन	शुन	शुन
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कम्पनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	शुन	शुन	शुन	शुन	शुन
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शुन	शुन	शुन	शुन	शुन
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शुन	शुन	शुन	शुन	शुन
	किसी व्यक्ति या निकाय जिसे बंधु, कंपनी, न्यास आदि को देकर गए ऋण अग्रिम ऋणियों से अन्य रकम	शुन	शुन	शुन	शुन	शुन




(vi)	मोटरयान / वायुयान / याट / पोत (मेक. रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शुद्ध	1 मा लम्बा 5 मा चौड़ा	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों / हित का मूल्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(ix)	समग्र कुल मूल्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध



	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	
	(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
		क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)		शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	
क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)		शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	
स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख		शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)		शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	
विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान		शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	
अनुमानित चालू बाजार मूल्य		शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	
क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)		शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	
स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख		शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	




पूर्वोक्त (i) से (V) का कुल चालू बाजार मूल्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
--	-------	-------	-------	-------	-------

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण :- कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों क पृथक विवरण दें)

क्रम.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	कोई अन्य दायित्व	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	दायित्वों का कुल योग	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(ii)	सरकारी शोध्य :					
	सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	आय-कर शोध्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	धनकर शोध्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	सेवाकर शोध्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	निकरकर शोध्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	कोई अन्य शोध्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	कुल शोध्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध



का कुल योग					
iv क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं..... मजदूर

(ख) पति या पत्नी..... रूढ़ी

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-


सावर

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा था, का ब्यौरा दे)

भाग-ख


(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/शु० राजेन्द्र कुमार सिंह चौहान
2	डाक का पता	सा. पा. - अमौली राजा राजपुर जिला - बिहार
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	33 अक्षर बिहार
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	भारत विकास गैरिया
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शु-य
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने निर्दोष लिखा है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	शु-य
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक कारावास से अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है (उपधारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100) (1) उपधारा (2) उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शु-य



 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	कुल दर्शित आय
(क) अभ्यर्थी	शुन्ध	शुन्ध	80,000/-
(ख) पति या पत्नी	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
(ग) आश्रित	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध

8 आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूप में)						
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
ख	स्थावर आस्तियां	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
	I स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
	II क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
	III निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
	(क) स्वअर्जित आस्तियाँ (कुल मूल्य)	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
	(ख) विरासती आस्तियाँ (कुल मूल्य)	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
9	दायित्व	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
	सरकारी ऋण (कुल)	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
	अन्य ऋण और अन्य	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध



	से ऋण (कुल)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(i)	सरकारी शोध (कुल)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध

11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता : <u>स्नातक</u>
(प्रमाण पत्र / डिप्लोमा / डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय / शिक्षा, विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)	


सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है :

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 26/3/18 को सत्यापित किया गया।



I identify the Signature of Deponent who has signed in my presence

Primal Sonny Adv

26/3/2018

Enno 2521/03

(Signature)

अभिसाक्षी

टिप्पण- 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण- 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण- 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण- 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण- 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण- 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याएँ है/हैं..... 9572339054.....


मेरा ई-मेल आई० डी० (अगर कोई हो) है..... (2023/23).....

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है..... (2023/23).....

टिप्पण- 7. शपथ पत्र के पारा 8 में वित्तीय संस्थानों के प्रति दायित्वों में विदेशी बैंकों/संस्थाओं में जमा/निवेश सहित सूचना दें।

शपथ अथवा प्रतिज्ञान का प्ररूप
[भारत के संविधान का अनुच्छेद 84 (क)]
[संसदीय निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला]

मैं राजेंद्र कुमार सिंह चौहान
उ.प्र. विधान जो लोक सभा में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा।


(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
स्पष्ट अक्षरों में नाम)

श्री/श्रीमती राजेंद्र कुमार सिंह चौहान ने आज दिनांक 26
(माह) मार्च 2014 को बनारस (स्थान) पर

समक्ष ईश्वर की शपथ ली/सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किया।

प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर
नाम, पदनाम और मुहार)

शपथ पत्र की प्राप्ति के लिए प्रमाण-पत्र
[प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी को दिया जायेगा]

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य सभा अथवा लोक सभा के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी
.....(नाम) ने(पिता)

.....बजे मेरे कार्यालय में मेरे समक्ष भारत के संविधान द्वारा यथा अपेक्षित शपथ ली/प्रतिज्ञान किया और उस पर हस्ताक्षर किए।

(प्राधिकृत व्यक्ति का
हस्ताक्षर
नाम, पदनाम और मुहर)

जो लागू न हो उसे काट दें।